मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 (पौष 2, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने ने प्रश्नकाल में उल्लेख किया कि सदन में कल माननीय मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न होने की घोषणा की थी परन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा दूसरा नोटिस जारी किया गया है. अत: सरकार द्वारा सदन में अपनी घोषणा के माध्यम से जो संदेश दिया था, उसका पालन किया जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सरकार द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है और उस पर आज तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है. हम आज भी मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणा पर कायम हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ भी गये हैं.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया. व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.10 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पुन: 11.26 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

पूर्व से जारी व्यवधान के मध्य, प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न (प्रश्न संख्या 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उसका उत्तर दिया गया. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 157 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 149 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

आसंदी ने अवगत कराया कि सदन में इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कल का प्रश्नकाल स्थगित करते हुए पर्याप्त चर्चा कराई जा चुकी है. आज विपक्ष के सदस्यगण के 15 प्रश्न और सत्तापक्ष के सदस्यों के 9 प्रश्न लगे हैं. जनता की अपेक्षा एवं हितों के लिये प्रश्नकाल होता है. अभी बजट पर बहस हो रही है इस विषय को उसमें आप उठा सकते हैं.

कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे बाजी एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही पुन: 11.36 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पुन: 11.48 बजे समवेत हुई. कुछ देर पश्चात् कांग्रेस के सदस्यगण धरने पर बैठ गये. व्यवधान के कारण आसंदी द्वारा विधान सभा की कार्यवाही 11.50 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पुन: 12.09 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल आरक्षण के संबंध में जो बयान दिया था उसकी पूर्ति हो जाये. आज पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की अंतिम तिथि है. कल से उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लग जायेंगे. इसलिये मुख्यमंत्री महोदय अपनी घोषणा का पालन करें, यही हमारी एवं प्रदेश की मांग और आवाज है.

आसंदी की समझाईश पर गर्भगृह में बैठे सदस्य अपने आसन पर वापस गये.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सरकार की प्रतिबद्धता है हमने स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के समय भी कहा था कि हर वर्ग के कल्याण का इस सरकार का लक्ष्य है, हर वर्ग को हम न्याय देंगे इसलिये हमने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव हो हमने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी. आज हमने पुन: न्यायालय से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया है और फैसले की हमें प्रतीक्षा है. मेरा मानना है कि इतने बड़े वर्ग के बिना चुनाव में जाना न तो तर्क संगत है और न ही प्रदेश के हित में है. इसलिए हम प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव पिछड़ा वर्ग के साथ ही हो.

आज हमारा ऐतिहासिक सदन सर्वसम्मति से संकल्प ले कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पंचायत चुनाव न कराए जाए. ऐसा मैं प्रस्ताव करता हूँ. मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन किया.

4. शासकीय संकल्प

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के बिना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराये जाने

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि "सदन का मत है कि प्रदेश में बिना अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराये जायें.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया.

(तत्पश्चात् गर्भगृह से लगातार व्यवधान के मध्य दैनिक कार्यसूची में अंकित विषयों पर कार्यवाही जारी रही.)

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना जिले के ग्राम पंचायत खरवाही में आदिवासी बस्ती के लोगों को भूमि का पट्टा न दिये जाने,

(2) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की विदिशा जिले के अनेक ग्रामों में बारहयासी सड़के न होने,

(3) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की हटा क्षेत्र में भीषण ठंड से फसल बर्बाद होने,

(4) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मुलताई नगर की सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी ताप्ती नदी में मिलने,

(5) श्री राकेश मावई, सदस्य की मुरैना जिले में नवीन हैण्ड पम्प न खोदे जाने,

(6) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ संस्था के भवन निर्माण एवं विकासकार्य किये जाने,

(7) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम् संभाग स्थित होशंगाबाद नगर पालिका में अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार किये जाने,

(8) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य की कटनी जिला अंतर्गत विकासखण्ड रीठी स्थित शासकीय हाई स्कूल का स्वयं का भवन बनाये जाने,

(9) श्री सुबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की जौरा विधानसभा क्षेत्र एम.एस. रोड़ जौरा से निरार माता होते हुए पहाड़गढ़ तक की सड़क की मरम्मत किये जाने तथा

(10) श्री संजय शर्मा, सदस्य की तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में घटित दो बलात्कार की घटनाओं में पुलिस द्वारा मामले की लीपापोती किए जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 पटल पर रखे.

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी और उनका उत्तर पटल पर रखा हुआ माना जाएगा.

(1) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में संचालित नल-जल योजना बंद होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का वक्तव्य,

(2) सर्वश्री देवेन्द्र सिंह पटेल, रामपाल सिंह, सदस्यगण की रायसेन जिले में हितग्राहियों को पेंशन न मिलने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(3) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले की कड़ान परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य तथा

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जबलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य से मार्ग बाधित होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य
वक्तव्य पढ़े हुए माने गए.

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री विजयपाल सिंह, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 1	श्री विक्रम सिंह	30 मिनट
2.	क्रमांक -5	डॉ. सीतासरन शर्मा	30 मिनट
3.	क्रमांक -11	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	30 मिनट
4.	क्रमांक-13	श्री दिव्यराज सिंह	30 मिनट

श्री विजयपाल सिंह, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(2) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(3) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-शिवपुरी)
(4) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(5) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(6) कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर (भिड़ौसा) (जिला-मुरैना)
(7) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(8) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(10) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(11) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(12) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(13) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(14) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(15) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(17) श्रीमती सुलोचना रावत (जिला-अलीराजपुर)
(18) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(19) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(20) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(21) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(22) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना शहर)
(23) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(24) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(25) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(26) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(27) श्री विक्रम सिंह राणा (जिला-आगर-मालवा)
(28) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(29) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(30) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(31) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
(32) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़-सागर)
(33) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(34) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(35) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(36) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(37) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर
(38) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(39) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(40) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(41) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(42) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (जिला-खरगोन

10. वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण).

वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रारम्भ की गई चर्चा के क्रम में जारी श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक अनुमान को स्वीकृत करने का अनुरोध किया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) आगामी कार्य दिवस पर लेने संबंधी घोषणा की गई.

श्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नेता प्रतिपक्ष को न बोलने देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) आगामी कार्य दिवस पर लेने संबंधी घोषणा की गई.

(5) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 20 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 36 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रस्ताव किया कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 36 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 12.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (3 पौष, शक सम्वत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021.